बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में विलम्ब करने, उक्त विलम्बता को छिपाने के उद्देश्य से Antedating करने तथा माननीय उच्च न्यायालय में गलत शपथ–पत्र दायर करने के दोषी हैं।

अतः बिहार राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विनोद, सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री पासवान से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश : – आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र (प्रपत्र 'क') की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) के साथ श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी, श्री विनोद, सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि०को०(रा०)विभागीय–702/2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–702 / 2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री विनोद, सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह० / –
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–702 / 2017

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह० / –
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–702 / 2017

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3137 दिनांक–03.04.2017 एवं पत्रांक–3161 दिनांक–03.04.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह० / –
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :1226 / पटना, दिनांक :06/04/17
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–702 / 2017

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

6/4/17

6.4.17
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

आरोप–पत्र

प्रपत्र–'क'

1. पदाधिकारी का नाम : श्री अरविन्द कुमार पासवान,
2. पदनाम : जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा
3. जन्मतिथि : 25.04.1974
4. सेवानिवृति तिथि : 30.04.2034
5. वेतनमान्/ग्रेड पे : PB-2 ग्रेड पे–4800/–
6. समूह : 'ख'
7. आरोप :

आरोप	आरोप का विवरण	साक्ष्य
मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलम्ब करना, उक्त विलम्बता को छिपाने के उद्देश्य से Back date में संबंधितों को प्राप्त कराना तथा मान्नीय उच्च न्यायालय में गलत प्रतिशपथ–पत्र दायर करना जो सरकारी कर्मी के प्रतिकूल आचरण बरतने को प्रमाणित करता है।	(i) मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-19972/2016 कोपरिया पैक्स बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.17 को सुनवाई के क्रम में आदेश पारित किया गया। तदनुसार आपके कार्यालय आदेश संख्या 1288 दिनांक 03.12.16 को मान्नीय न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया। स्पष्टतः मान्नीय न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन आपके स्तर से तुरंत सुनिश्चित कराया जाना था। (ii) आपके पत्रांक 101 दिनांक 06.02.17 के माध्यम से मान्नीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 25.01.17 अनुपालन कार्रवाई निर्गत की गयी, परन्तु आपके उक्त पत्र में विर्निदिष्ट प्रतिलिपि के आलोक में आपका उक्त पत्र ई–मेल के माध्यम से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक 23.02.17 (03:51 P.M.) प्राप्त हुआ है। पुनः संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 166 दिनांक 01.04.17 में प्रतिवेदित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनके कार्यालय में भी आपका उक्त पत्र दिनांक 23.02.17 को वास्तविक रूप से प्राप्त कराया गया, परन्तु संयुक्त निबंधक कार्यालय में पदस्थापित श्री ललित नारायण यादव, लिपिक पर दबाव डालकर दिनांक 06.02.17 की तिथि में प्राप्ति रसीद प्राप्त किया गया है। श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 24.03.17 में Back date में दबाव डालकर आपके द्वारा प्राप्त कराने के तथ्य प्रतिवेदित किए गए हैं एवं Back date में ही प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। (iii) आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित याचिका में सुनवाई के क्रम में दिनांक 28.02.17 को उपस्थित होकर मान्नीय न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.17 का अनुपालन दिनांक 06.02.17 को ही कर दिए जाने के तथ्य अंकित किए गए हैं, जबकि मान्नीय न्यायालय द्वारा उक्त मामले में पारित आदेश दिनांक 23.02.17, 28.02.17, 03.03.17 तथा 29.03.17 में	1. CWJC No.-19972/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.01.17 की प्रति। 2. जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 06.02.17 की प्रति। 3. निबंधक कार्यालय में ई–मेल से दिनांक 23.02.17 को भेजे गए पत्र का साक्ष्य। 4. संयुक्त निबंधक, स०स०, कोशी प्रमंडल, सहरसा का पत्रांक 166 दिनांक 01.04.17 की प्रति तथा पत्रांक 168 दिनांक 03.04.17 की प्रति। 5. श्री ललित नारायण यादव, लिपिक, कार्यालय संयुक्त निबंधक, स०स०, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 24.03.17 की प्रति। 6. मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.17 की प्रति।

	याचिकाकर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष समर्पित तथ्य यथा आपका पत्र दिनांक 06.02.17 आपके द्वारा अंकित की जा रही तिथि के पश्चात् वास्तविकता में प्राप्त कराया गया है एवं यह एक antedating का मामला है। इस प्रकार आपके द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विलम्ब करने, उक्त विलम्बता को छिपाने के उद्देश्य से Back date में संबंधितों को प्राप्त कराने तथा मान्नीय उच्च न्यायालय में गलत प्रतिशपथ–पत्र दायर करने का आरोप प्रमाणित करता है, जो एक सरकारी कर्मी के लिए यथाअपेक्षित आचरण के प्रतिकूल है।	

6/4/17

6.4.17

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।